<u>न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं (राजस्थान)</u>

<u>सरकार बनाम श्याम सुन्दर वगै0</u>
<u>मुकदमा नम्बर 87/2014 सीआईएस नम्बर 7311/2014</u>
<u>अपराध अंतर्गत धारा 420, 406, 467, 468, 471, 120बी भादसं</u>

दिनांक : 11.08.2025

अभियोजन अधिकारी उप0। अभियुक्तगण श्यामसुन्दर, अयाज, अनीश, नवीन, शोयब अनुपस्थित का हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र पेश हुआ जो केवल आज के लिए स्वीकार किया जाता है। गवाहान की तामीलें अदम प्राप्त हुई। गवाह कोई हाजिर नहीं। गवाहान की तामीलें गतादेशानुसार जारी हो। गवाह वीना गुप्ता का प्रार्थना बाबत् बयान जरिये वीसी करवाने हेतू जरिये कोरियर सर्विस प्राप्त हुआ। उक्त गवाह द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र में वर्णित है कि गवाह वीना गुप्ता पेन्क्रियास केन्सर से पीडित है अतः गवाह के बयान जरिये वीसी करवाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, गुरूग्राम को वीसी पोईट उपलब्ध करवाये जाने व बयानों बाबत् कोर्डिनेटर नियुक्ति बाबत् निवेदन पत्र जारी हो। पत्रावली देखने पालना रिपोर्ट/साक्ष्य अभियोजन हेतू दिनांक 19.8.25 को पेश हो।

वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
झुन्झुनूं (राज.)

<u>19.8.25</u> अभियोजन अधिकारी उप0। अभि0 श्यामसुन्दर, अयाज, शोयब उर्फ सोनी, नवीन पालीवाल, अनीस अनु0 का आज का हा0 माफी का प्रा0 पत्र जरिये अधि0 पेश हुआ जो केवल आज के लिए स्वीकार किया जाता है, शामिल रहे। गवाह पूर्वानुसार तलब हो वास्ते सा0 अभि0 दि0 6.9.25 को पेश हो। P.O. साहब अवकाश पर है।

वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एव
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
झुन्झुनूं (राज.)